

आवश्यक जानकारी - इस प्रशिक्षण के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को कृत्रिम गर्भाधान कार्य, पशुधन प्रबंधन डेयरी विकास एवं व्यवसाय, पशुओं में रोग एवं रोगों की जानकारी तथा रोकथाम हेतु उपचार, चारा विकास, अधिक दुग्ध उत्पादन के उपाय आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

नोट :- प्रशिक्षण के पश्चात् निगम की ओर से 15000/- रुपये प्रति माह रोजगार सहायता उपलब्ध होगी इसके अंतर्गत पशु सेवा केंद्र पर नियमानुसार एवं लक्ष्यानुसार न्यूनतम एक वर्ष तक कार्य करने पर आप द्वारा प्रशिक्षण हेतु जमा राशि 40,000/- रुपये की वापसी निगम द्वारा की जाएगी। सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी चाहने हेतु संलग्न सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी का आवेदन भी प्रस्तुत करें।

नोट :- प्रशिक्षण के पश्चात् कृषि मंत्रालय पशुपालन डेयरी और मत्स्य विभाग, भारत सरकार की परियोजना "राष्ट्रीय गोकुल मिशन" के तहत पंचायत स्तर पर AI WORKER (कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) में नियमानुसार नियुक्ति के पात्र

## 6. कार्य दायित्व :-

1. प्रशिक्षण के पश्चात् कार्यकर्ता को ग्राम पंचायत में पशु सेवा केंद्र पर कार्य करने हेतु लगाया जाएगा।
2. पशु सेवा केंद्र पर निगम के उत्पाद की बिक्री लक्ष्यानुसार करना उसका दायित्व होगा।
3. पशु सेवा केन्द्रों के माध्यम से निगम के कार्ड धारी पशुपालकों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार सेवार्थें प्रदान करना।
4. पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता का मासिक लक्ष्य संलग्न घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 4 में वर्णित है।

## घोषणा पत्र

मैं जानता हूँ कि उक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रवेश सुरक्षित करने हेतु जमा किया गया है जो वापसी देय नहीं है। प्रशिक्षण पूर्ण होने से पूर्व ही प्रशिक्षण छोड़ने पर जमा सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि वापस देय नहीं है। और रोजगार भी नहीं दिया जायेगा।

मैं उपरोक्त आवेदक घोषणा करता /करती हूँ कि चाहे गये मापदण्डानुसार आयु पूर्ण करता /करती हूँ एवं मेरी किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।

मैं इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात् भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 के नियमों का उल्लंघन नहीं करूँगा / करूँगी तथा उपरोक्त पर कोई विवाद नहीं करूँगा / करूँगी।

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त श्रेणी जिस हेतु मैंने आवेदन किया है की आवश्यक जानकारी, नियम एवं शर्तें मेरे द्वारा भलीभांति पढ़ एवं समझ ली गयी है।

मैं घोषणा करता /करती हूँ की उपरोक्त वर्णित मेरे द्वारा दी गयी जानकारी सही व सत्य है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मुझे जानकारी है की निगम निजी क्षेत्र की कंपनी है।

मैं घोषणा करता /करती हूँ कि यह मैंने स्वयं की इच्छा से उपरोक्त वर्णित सभी जानकारी स्वीकार एवं हस्ताक्षरित की है।

यह मैंने किसी भी बाहरी दबाव में, जबरदस्ती से या बहकावे में आकर नहीं किया है।

समस्त प्रकार के कानूनी विवादों के सम्बन्ध में न्याय क्षेत्र उत्तर, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर (राजस्थान) ही होगा।

दिनांक :

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

स्थान :

# घोषणा पत्र

(प्रशिक्षणार्थी के द्वारा 100 रुपये गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

मैं .....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... यह घोषणा करता / करती हूँ कि

## 1. पाठ्यक्रम एवं शुल्क का विवरण इस प्रकार है |

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	शैक्षिक योग्यता	कुल शुल्क	बैच प्रारम्भ होने का माह (संभावित)
पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (AHW)	6 माह	10th	43000/-	फरवरी 2021

रजिस्ट्रेशन शुल्क - 3000/- (अप्रतिदेय), प्रशिक्षण में प्रवेश पर सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि प्रथम किस्त- 25000/- (नियमानुसार वापसी योग्य), प्रशिक्षण के एक माह बाद सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि द्वितीय किस्त - 15000 /- (नियमानुसार वापसी योग्य)

**प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (तीन पुस्तकें) निःशुल्क प्रदान की जायेगी |**

**परीक्षा शुल्क प्रतिसेमेस्टर 1500/- रु. अतिरिक्त देय है | जो वापसी देय नहीं है |**

## 2. प्रशिक्षण कार्यक्रम रूपरेखा

आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि - प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार

आवेदन जाँच - अंतिम तिथि से 10 दिन तक

चयन सूचना - आवेदन जाँच से अगले 10 दिन में

प्रथम किस्त जमा - चयन सूचना से अगले 15 दिन में

काउंसलिंग - किस्त जमा से अगले 10 दिन में

प्रशिक्षण प्रारम्भ - काउंसलिंग से अगले 10 दिन में

**नोट :- उक्त कार्यक्रम में फेर - बदल संभव है |**

## 3. मैं यह जानता / जानती हूँ कि

- पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र के साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाने पर आवेदक को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा |
- आवेदन पत्र जमा करवाने एवं प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से लेकर प्रशिक्षण पूर्ण होने तक यदि कोई आवेदक आवेदन वापस लेता है तो उसके द्वारा जमा शुल्क वापस देय नहीं है तथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा |
- जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के लिये बैच की संख्या न्यूनतम 30 प्रशिक्षणार्थी निर्धारित है। जिले पर यह संख्या नहीं होने पर नजदीकी जिले या राजस्थान में जयपुर जिला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा। प्रशिक्षण के दौरान आवासीय व खाने का खर्चा प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा |
- चयनित प्रशिक्षणार्थी जिसके द्वारा निगम से प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, उन्हें अंकतालिका / प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा |
- चयन के पश्चात प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर आवेदक को अयोग्य मान आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व में जमा रजिस्ट्रेशन शुल्क की राशि जब्त कर ली जाएगी |
- किसी कारणवश प्रथम किस्त जमा होने के पश्चात प्रशिक्षण बीच में छोड़ने पर जमा सुरक्षा/प्रशिक्षण शुल्क राशि वापस देय नहीं है |

7. आवेदक द्वारा ऑनलाइन / ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा किया जाता है और आवेदन पत्र नहीं भेजा जाता है तो भी यह मानते हुए की वह सभी नियम एवं शर्तों से परिचित है | प्रशिक्षण हेतु बुलावा भेजा जाएगा उसकी अनुपस्थिति होने पर उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क वापसी देय नहीं होगा |
8. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रभाव अत्यधिक होने की स्थिति में केंद्र / राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह प्रशिक्षण निगम द्वारा ऑनलाइन माध्यम से करवाया जा सकता है | जिसकी जानकारी आवेदक को रजिस्टर्ड ई मेल पर भेजी जायेगी |

#### **4. पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (AHW) पद हेतु कार्य दायित्व एवं मासिक वेतन:-**

1. निगम में मुझे पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (AHW) के रूप में कार्य करना है मेरा मासिक लक्ष्य 120 केन गोल्ड दूधधारा कैल्शियम 5 ली. (फीड सप्लीमेंट) पशुपालको को प्रति माह बिक्री करना है | दूध धारा कैल्शियम (फीड सप्लीमेंट) प्राप्त करने के लिये मेरे द्वारा, प्रशिक्षण पूर्ण होने और नियुक्ति से पूर्व उत्पाद प्राप्ति हेतु निगम में न्यूनतम उत्पाद खरीद राशि 10000/- जमा करानी होगी | यह राशि सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि के अतिरिक्त होगी |
2. पशुपालक/ किसान परिवार द्वारा गोल्ड दूध धारा कैल्शियम केन (5 लीटर) की खरीद पर एक लाख का दुर्घटना बीमा (निःशुल्क) जारी करना | (एक केन खरीदने पर एक व्यक्ति का एक साल के लिए एक लाख का दुर्घटना बीमा जारी होगा |)
3. कक्षाएं प्रारम्भ होने व प्रथम किस्त जमा कराने पश्चात् प्रशिक्षणार्थी को एक साल के लिए निःशुल्क दुर्घटना बीमा जारी होगा |
4. मुझे ग्राम पंचायत क्षेत्र में निगम के कार्डधारी पशुपालको के पशुओं का निःशुल्क उपचार करना है |
5. मुझे ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रतिमाह सशुल्क न्यूनतम 20 कृत्रिम गर्भाधान कार्य करना है |
6. मुझे ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रतिमाह सशुल्क 30 प्राथमिक पशु उपचार के कार्य को करना है |
7. कार्य दायित्व के अनुसार कार्य करने पर मुझे प्रतिमाह भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा पंद्रह हजार (15000/-रु.) मासिक प्राप्त होगा |
8. पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (AHW) को निगम के लक्ष्य पूर्ण करने पर एक हजार (1000 रु.) अतिरिक्त बोनस भुगतान किया जायेगा, निर्धारित लक्ष्य लगातार एक वर्ष तक पूर्ण करने पर निगम की ओर से नियमानुसार एक मोटरसाइकिल प्रदान की जाएगी |

#### **5. सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी नियम :-**

1. प्रशिक्षण में प्रवेश के समय ऑनलाइन /ऑफलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी चाहने हेतु आवेदन पत्र 100/- रु के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी करवाकर जमा करें |
2. घोषणा पत्र में दिए गए नियमानुसार एवं लक्ष्यानुसार पशु सेवा केंद्र पर एक वर्ष कार्य करने पर सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि लौटायी जायेगी | उस सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि में रजिस्ट्रेशन शुल्क व परीक्षा शुल्क शामिल नहीं है | पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता मासिक लक्ष्य घोषणा पत्र की बिंदु संख्या 4 (1) में वर्णित है |
3. निगम में नियुक्ति नहीं चाहकर केवल प्रशिक्षण प्राप्त करने के एवज में सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि नहीं लौटायी जायेगी |

## शपथ पत्र

उक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क चयन के पश्चात वापसी देय नहीं है।

चाहे गये मापदण्डानुसार आयु पूर्ण करता / करती हूँ एवं मेरी किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। उपरोक्त पद जिस हेतु मैंने आवेदन किया है की आवश्यक जानकारी, नियम एवं शर्तें मेरे द्वारा भलीभांति पढ़ एवं समझ ली गई है।

मैंने प्रशिक्षण संबंधित नियम, शर्तें तथा कार्यपद्धति समझ ली है। मैं प्रशिक्षण संबंधित सभी नियमों की पालना करूँगा /करूँगी। निगम के किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर निगम प्रबंधन मुझे प्रशिक्षण से निष्कासित करने का पूर्ण अधिकारी है।

मैं इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 के नियमों का उल्लंघन नहीं करूँगा /करूँगी तथा उपरोक्त पर कोई विवाद नहीं करूँगा /करूँगी।

उपरोक्त वर्णित मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही व सत्य है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मुझे जानकारी है कि निगम निजी क्षेत्र की कंपनी है। यह प्रशिक्षण कौशल विकास हेतु है इसके जरिये सरकारी नौकरी मिलने का कोई भी दावा निगम नहीं करता है।

यह मैंने स्वयं की इच्छा से उपरोक्त वर्णित सभी जानकारी स्वीकार एवं हस्ताक्षरित की है। यह मैंने किसी बाहरी दबाव में, जबरदस्ती से या बहकावे में आकर नहीं किया है।

समस्त प्रकार के कानूनी विवादों के सम्बन्ध में न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) ही होगा।

(SIGNATURE OF APPLICANT)

आवेदक के हस्ताक्षर

## आवश्यक सूचनायें

आवेदन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये जाने योग्य दस्तावेज़:-

1. अंकतालिका एवं प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें।
2. बैंक द्वारा बनाये गए चालान की निगम प्रति संलग्न करें।
3. अपने पहचान पत्र/ मूल निवास/आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें।
4. घोषणा पत्र व सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी चाहने हेतु 100/- रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी करवाकर संलग्न करें।

आवेदन भेजने का तरीका :-

1. संलग्न बैंक चालान को भरकर शुल्क सहित नजदीकी UNION / ICICI बैंक में जमा करावें। आवेदन पत्र के साथ बैंक द्वारा बनाये गये चालान की निगम प्रति संलग्न करे।

**नोट :- UNION / ICICI बैंक नजदीक में नहीं होने की अवस्था में किसी भी बैंक से रजिस्ट्रेशन शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट Bhartiya Pashupalan Nigam Limited Jaipur के नाम संलग्न कर भेजा जा सकता है।**

2. आवेदन पत्र को भरते समय अपना पूरा डाक का पता साफ एवं स्वच्छ भाषा में लिख कर, लिफाफे में डालकर नीचे दिये पते पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाये।

## आवेदन प्रार्थना पत्र भेजने का पता

### भर्ती पूर्व प्रशिक्षण हेतु

भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, ए सी 4, गायत्री सदन,

जिला परिषद् के सामने, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर, राजस्थान पिन - 302016

### सामान्य जानकारी :-

1. भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है यह प्रशिक्षण कौशल विकास के लिए है इसके जरिये निगम कोई भी सरकारी नौकरी का दावा नहीं करता है।
2. भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता जॉब रोल हेतु चयनित आवेदकों को छः माह का प्रशिक्षण (5 माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण व 1 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण) प्रदान करेगा एवं प्रशिक्षण के पश्चात् अंकतालिका / प्रमाण पत्र दिया जाएगा | प्रशिक्षण में पशुओं में होने वाले रोग तथा उनकी रोकथाम के उपाय नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण तथा टीकाकरण के लाभ, प्राथमिक उपचार, पशुधन उत्पादन, पोषण एवं प्रबंधन, चारा विकास, डेयरी विकास से दूध उत्पादन वृद्धि की जानकारी दी जायेगी।
3. भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (AHW) प्रशिक्षण के लिए UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का अधिकृत प्रशिक्षण पार्टनर है | प्रशिक्षण के पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण अंकतालिका / प्रमाण पत्र दिया जाएगा | प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार करने वाले पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध है |
4. निगम की वेबसाइट [www.bharatiyapashupalan.com](http://www.bharatiyapashupalan.com) पर दी गई, जानकारी को ही अधिकृत समझे, अन्य किसी भी वेबसाइट या माध्यम के जरिये किये गए व्यवहार के प्रति हम जिम्मेदार नहीं हैं |
5. प्रशिक्षण से सम्बंधित सभी अधिकार निगम के पास सुरक्षित हैं | इस हेतु आवेदनकर्ता का कोई भी ऐतराज मान्य नहीं है |
6. ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदन पत्र / विस्तृत विज्ञापन को डाउनलोड कर सभी जानकारियों को आवश्यक रूप से पढ़ें।
7. निगम द्वारा आवेदक को प्रशिक्षण से सम्बंधित सभी सूचनाएं व जानकारी केवल ईमेल के माध्यम से दी जाएगी, अतः आवेदक द्वारा स्वयं की सही ईमेल आईडी लिखी जानी आवश्यक है।

### निगम में नियुक्ति एवं चयन का आधार:-

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयन होने के पश्चात् जो प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पूर्ण कर अंकतालिका / प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है उन्हें निगम द्वारा नियुक्ति दी जाएगी |
2. सभी ग्राम पंचायतों पर पशुपालक उन्नति केंद्र खोले जाने हैं अतः इस हेतु ग्रामीण पृष्ठ भूमि के स्थानीय निवासी को वरीयता दी जायेगी और उसी के क्षेत्र में ही पशुपालक उन्नति केंद्र खोला जाएगा | इन केन्द्रों से निगम के उत्पाद विक्रय एवं प्राथमिक पशु स्वास्थ्य सेवार्ये देने का प्रावधान है |

### चयन की सूचना :-

1. आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दसवीं कक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर चयन की सूचना आवेदक की रजिस्टर्ड मेल आई डी पर भेज दी जायेगी।
2. चयनित आवेदक को प्रशिक्षण में चयन की सूचना के साथ प्रशिक्षण फीस की प्रथम किस्त जमा करवाने बाबत सूचना ईमेल के माध्यम से दी जायेगी।

3. प्रशिक्षण फीस की प्रथम किस्त ऑनलाइन / ऑफलाइन माध्यम से जमा करानी होगी तथा निगम की प्रति निगम के जयपुर कार्यालय में डाक द्वारा भेजनी होगी।
4. प्रशिक्षण की प्रथम किस्त जमा कर निगम की प्रति डाक द्वारा भेजने और आवेदक को काउंसलिंग की सुचना ई मेल / डाक के माध्यम से आवेदक को भेजी जायेगी |
5. आवेदक द्वारा प्रशिक्षण की प्रथम किस्त जमा नहीं करवाने पर AHW पद के लिये आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा व रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लौटाया जायेगा |

(100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित )

निःशुल्क प्रशिक्षण के नियमानुसार एक वर्ष कार्य के पश्चात् सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी चाहने हेतु

प्रार्थना पत्र

सेवा में,

निदेशक

भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड

जयपुर

मैं.....पुत्र श्री .....निवासी.....  
.....तहसील.....जिला.....  
राज्य.....का रहने वाला हूँ |

मैं वचन देता हूँ कि निगम के घोषणा पत्र में दिये नियमानुसार एवं लक्ष्यानुसार पशु सेवा केंद्र पर प्रतिमाह कार्य करूँगा | कृपया मेरे द्वारा दी गई सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि को नियमानुसार एक वर्ष का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर लौटाने की कृपा करे |  
नोट :- निगम में नियुक्ति नहीं चाहकर केवल प्रशिक्षण प्राप्त करने के एवज में आपको सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि नहीं लौटाया जायेगा |

धन्यवाद

आवेदक हस्ताक्षर

नाम.....

पिता का नाम.....

पूरा पता.....